राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3,नरेगा)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वा.का.यो/2014–15 जयपुर,दिनांक 2-5 JUL 2015

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस
(समस्त जिले)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 की कार्यो की योजना एवं श्रम बजट तैयार करने के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के खण्ड 14 के उपखण्ड 6 में जिला कार्यक्रम समन्वयक को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट एवं अकुशल श्रमिकों की मांग पूर्ति हेतु अनुमत श्रेणी के कार्यो का चयन कर वार्षिक कार्य योजना तैयार कराने हेतु अधिकृत किया गया है कृपया इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।

अ – Intensive Participatory Planning Exercise (IPPE) में चयनित ब्लॉक :–

निम्न समय सीमा अनुसार कार्यवाही निष्पादित की जावे।

क्र.स	गतिविधि	समय सीमा
1	प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति	31.07.2015
2	जिले स्तर के प्रशिक्षकों की पहचान प्रत्येक ब्लॉक के लिए – 2	31.07.2015
3	आई.पी.पी.ई –1 में भाग लेने वाले भारत निर्माण वालेटियर / सी.एस.ओ के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना (ग्राम पंचायतवार)	05.08.2015
4	एन.आर.एल.एम/ लाईन विभाग के द्वारा कन्वर्जेस हेतु उपलब्ध कराये जा सकने वाले संसाधनों का चिन्हिकरण करना (ग्राम पंचायतवार)	05.08.2015
5	ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों की पहचान प्रत्येक ब्लॉक के लिए – 10	31.08.2015

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों हेतु आपको पृथक से अवगत कराया जा रहा है। इन पंचायत समितियों में वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का अनुमोदन Intensive Participatory Planning Exercise (IPPE) के उपरान्त ग्राम सभा आयोजित कर कराया जावे।

ब – Intensive Participatory Planning Exercise (IPPE) के अलावा अन्य ब्लॉक में :–

1. पूर्व के वर्षो की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में बहुत से कार्य ऐसे है जो कि योजनान्तर्गत अभी तक स्वीकृत/प्रारम्भ नही किये गये है। अतः पूर्व में अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के ऐसे कार्य जो कि अभी तक स्वीकृत/प्रारम्भ नही किये गये है, को

चिन्हित कर लिया जावे ताकि वार्षिक कार्य योजना 2016–17 के लिए आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा में रखे जा सके।

2. लाईन विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अन्य कार्यकारी संस्थाओं/विभागों मुख्य रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन (सिंचाई) मय सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, भू एवं जल संरक्षण आदि के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान करें कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यकारी संस्था के रूप में किये जाने वाले कार्यों तथा कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों का चिन्हिकरण भी अपने स्तर पर कर लेवे ताकि उन्हें आगामी वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराया जा सके।

3. उक्त ग्राम सभा में आवश्यकता होने पर, चालू वर्ष के लिए भी संशोधित कार्य योजना तैयार की जा सकती है (दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या–6.5(ग))। अतः इस ग्राम सभा में ऐसे कार्य विशेष रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने वाले कार्य, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत लाभार्थी श्रेणी के कार्य चालू वर्ष की संशोधित कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने चाहिये।

4. **चूंकि एक ही दिन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पायेगा, अतः 10 अगस्त, 2015 से 20 अगस्त, 2015 तक ग्राम सभाओं का आयोजन** किया जाकर वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित की जावे। विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी ग्राम सभाओं की तिथि निर्धारित करते हुए निश्चित तिथि को ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करेगें तथा **ग्राम सभा की तिथि से सभी जनप्रतिनिधियों** यथा माननीय सांसद, विधायक, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य, पंच आदि **को अवगत** कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

5. ग्राम सभा के लिए **व्यापक एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार, दीवार लेखन एवं पम्पलेट वितरण के माध्यम से किया** जाये ताकि ग्राम सभा में भागीदारी बढायी जा सके। प्रचार–प्रसार द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

6. सभी **जनप्रतिनिधिगणों एवं विभागों** को यह भी **स्पष्ट** कर दिया जावे कि **वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हो जाने के उपरान्त कोई भी नया कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में जोडा जाना अथवा कराया जाना संभव नहीं होगा।**

7. सर्वप्रथम वार्षिक कार्य योजना में पूर्व वर्षो के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु सम्मिलित किये जावें। तत्पश्चात ऐसे कार्य जो कि **पूर्व की अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित** है परन्तु **कार्य प्रारम्भ नहीं** किये जा सके है एवं कार्य कराये जाने आवश्यक समझे जाये, को वार्षिक **कार्य योजना में सम्मिलित** किये जाये (बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप)। साथ में यह भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे कि कार्य तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो, गांव एवं ग्रामीणों के लिए उपयोगी हो तथा कार्य का आउटकम भी कार्य के साथ अंकित किया जावे।

8. श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना आवश्यक है अर्थात किसी भी ग्राम पंचायत पर सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक

नही होना चाहिये। कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत के अलावा होने की स्थिति में यह अनुपात जिला स्तर पर देखा जावे। अतः वार्षिक कार्य योजना में कार्य जोडे जाते समय इस बिन्दु का भी ध्यान रखा जावे एवं तद्नुसार कार्य सम्मिलित किये जावे।

9. कुल किये जाने व्यय का 60 प्रतिशत कृषि एवं कृषि से सम्बद्व गतिविधियों पर किया जाना आवश्यक है अतः इस प्रावधान का भी ध्यान रखा जावे।

10. वार्षिक कार्य योजना 2016–17 को बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में हुए वास्तविक व्यय तथा 2015–16 के अनुमानित व्यय से लगभग दो गुणे से अधिक की लागत के कार्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित नहीं किये जावें। यह सीमा ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद स्तर तक लागू की जायें।

11. योजनान्तर्गत **अनुमत कार्य, अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर** ही वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाये।

12. विभागीय दिशा निर्देश 2013–14 में दी गई समय सीमा निम्नानुसार है :–

तारीख	की जाने वाली कार्यवाही
15 सितम्बर	कार्यक्रम अधिकारी समेकित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करेगा।
2 अक्टूबर	ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक वार्षिक योजना को अनुमोदित करेगी और उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास प्रस्तुत करेगी।
15 नवम्बर	जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत में जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेगा।
1 दिसम्बर	जिला पंचायत जिला वार्षिक योजना को अनुमोदित करेगी।
15 दिसम्बर	जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजनाओं की सूची तैयार है।

श्रम बजट बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाये एवं व्यापक प्रशिक्षण देकर ही ग्राम सभाओं का आयोजन किया जावे।

1. श्रम बजट के लिए **मुख्य रूप से – परिवारों की संख्या जिन्हे रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, सृजित किये जाने वाले मानव दिवसों** की संख्या का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

2. श्रम बजट **माहवार एवं संचयी** रूप से तैयार किया जाना है।

3. वित्तीय वर्ष 2010–11 से योजना का समस्त लेखा एम.आई.एस. पर उपलब्ध है अतः **श्रम बजट वर्ष 2010–11 से एम.आई.एस. पर उपलब्ध वास्तविक आंकडों के आंकलन के आधार पर ही तैयार किया जाये ताकि वित्तीय वर्ष 2016–17 का श्रम बजट का आंकलन वास्तविकता के नजदीक रहे।**

4. वार्षिक कार्य योजना के साथ–साथ **श्रम बजट भी** तीनों स्तरों – **ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदित** कराया जाना है एवं ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की **बैठक कार्यवाही विवरण में यह उल्लेख आवश्यक रूप से स्पष्ट** किया जाये कि **वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2016–17 का अनुमोदन किया जाता है।**

5. ग्राम सभा में **संक्षिप्त कार्यवाही विवरण** जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि **वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2016–17 का अनुमोदन किया जाता है**, को योजना की अधिकृत वेबसाईट **nrega.nic.in पर अपलोड** किया जाना आवश्यक है। साथ ही **ग्राम पंचायतवार श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना** को भी उक्त वेबसाईट पर आवश्यक रूप से **अपलोड** किया जाना हैं। यह ध्यान रखा जायें कि **श्रम बजट ग्राम पंचायतवार ही अपलोड किया जाना** है, पंचायत समिति एवं जिला का श्रम बजट स्वतः ही तैयार हो जायेगा।

6. अनुमोदित श्रम बजट ऊपर दिए गए समयबद्व कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर आवश्यक रूप से एम.आई.एस. पर अपलोड किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें एवं आपके स्तर पर नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि **वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2016–17 समयबद्व कार्यक्रम के अनुसार** ही तैयार किया जा रहा है।

भवदीय

25/12/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

25/12/15